



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001

Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



RO/RPCB/SWM/KRL 976/ 1696- /699

Date: 02/02/2024

M/s. B.K.L.G Vendor Pvt. Ltd,
R/o -263/859, Rajasthan Housing Board,
Pratap Nagar, Jaipur
302001 (Raj.).

Subject:- Public hearing for grant of Environmental Clearance to Masonary Stone (Minor Mineral) Mining Project of 6,91,275 TPA, M.L. No. 14, ML area 5.3739 hectare situated at Near Village Mohanpur, Tehsil-Karauli, Distt. Karauli (Raj.) applied by M/s. B.K.L.G Vendor Pvt. Ltd.

Reference:- Office of the District Collector Karauli letter no. 7011 dated 31.01.2024.

Sir,

In reference to the above, please find enclosed a Public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily /Official state language news paper in any case on or before 20.02.2024. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajeev Gandhi Seva Kendra, Village Mohanpur, Gram Panchayat – Raghuvanshi, Tehsil & District Karauli, at 01:00 PM on 20/03/2024 for the environmental clearance of your Proposed project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP reports and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely

(Baljeet Meena)
Regional Officer

Copy to the following for information & further necessary action :-

1. The Member Secretary, SEAC, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
2. The Additional District Collector Office, Karauli in compliance to letter no.7011 dated 31.01.2024.
3. Analyst Cum Programmer , Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट संख्या 14-15, भीणा कॉलौनी, जेल के पीछेसवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्ष.का./स.मा./करौली 976/

दिनांक:-

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बी.के.एल.जी प्राईवेट लिमिटेड, 263/859, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, प्रताप नगर, जयपुर (राजस्थान) प्रार्थना -पत्र मय दस्तावेज मैसेनरी स्टोन खनिज परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि, मैसर्स बी.के.एल.जी प्राईवेट लिमिटेड, एम.एल. नं. 14 ग्राम मोहनपुर, तहसील-करौली, जिला - करौली परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
 - (1) कार्यालय जिला कलक्टर, करौली।
 - (2) कार्यालय जिला परिषद, करौली।
 - (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।
 - (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
 - (6) जिला उद्योग केन्द्र, करौली।
 - (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, करौली।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन-सुनवाई हेतु दिनांक 20.03.2024 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मोहनपुर, ग्राम पंचायत रघुवंशी, तहसील व जिला करौली में समय दोपहर 1:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी